



राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेब साईट:-<http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

ई.मेल:-rvres.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2706736(0)

क्रमांक: एफ 1 (24) (12) लेखा / अनु. / आकाशि/ पार्ट 1/

दिनांक

आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 3(8) शिक्षा-4/1998 दिनांक 19.5.2001 एवं कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 5(2)कार्मिक/क-2/10 जयपुर दिनांक 29.11.2010 के अन्तर्गत आयोजित बैठक दिनांक 17.12.2024 में की गई अनुशंषा के क्रम में निम्नलिखित RVRES व्याख्याताओं को कैरियर एडवांसमेंट योजनान्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:-

GRANT OF SELECTION SCALE OF RVRES LECTURERS				
S. No.	Name of Lecturer	Subject	DOB	Eligibility Date For Selection Scale
1	Chandraprabha Saraswat	Hindi	07-02-1956	15-07-2007
2	Chetan Das Swami	Hindi	04-03-1957	01-09-2007
3	Chetna Tikkiwal	Drawing & Painting	7.11.1971	24-11-2007
4	Dev Raj Jhahria	Agricultural Economics	11.2.1968	14-10-2008
5	Hemlata Sharma	Sanskrit	15-10-1973	25-11-2008
6	Isha Sharma	Hindi	17-06-1969	01-01-2005
7	Kailash Chand Gupta	EAFM	18-01-1965	01-11-2006
8	Kamal Dev Choudhary	Maths	05-07-1967	23-07-2007
9	Manoj Kumar Sharma	EAFM	21-03-1969	01-03-2006
10	Meena Goyal	Sanskrit	02-12-1957	23-01-2008
11	Meena Sharma	History	02-09-1958	19-09-2007
12	Pitamber Sharma	Agricultural Extension	02-10-1968	14-10-2008
13	Rajeev Sharma	Drawing & Painting	05-06-1967	05-08-2005
14	Rajendra Singh Achra	Geography	10-07-1964	01-01-2007
15	Ramkumar Singh	English	01-07-1962	16-12-1999
16	Ravindra Kumar	EAFM	01-01-1959	16-07-2005
17	Ravindra Kumar Sharma	Bus. Admn.	15-06-1969	01-03-2006
18	Rita Shukla	Hindi	09-11-1969	08-05-2007
19	Rohitashwa Kumar	ABST	10-07-1966	01-11-2006
20	Suresh Kumar Poonia	Agriculture Botany	18-06-1966	03-08-2004

नोट:-

- उक्त व्याख्याताओं को चयनित वेतनमान का भुगतान वित्त विभाग (RULES DIVISION), राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F14(1)FD/Rules/2009 Jaipur Dated- 19-09-2022 के अनुसार देय होगा।
- विभाग के पत्र क्रमांक एफ1()स्था/आकाशि/11/114 दिनांक 21.04.2011 के अनुसार पात्र व्याख्याताओं को PB-IV का लाभ महाविद्यालय स्तर पर स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करे।

Signature valid



आयुक्त
Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2024.12.24 19:57:09 IST
Reason: Approved



प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित प्राचार्य को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिकों के सेवाभिलेख की जांच करते हुए नियमानुसार वेतन स्थिरीकरण महाविद्यालय स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित अधिकारी।
8. वेबसाईट प्रभारी कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
9. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2024.12.24 19:57:09 IST
Reason: Approved

